(351) (227)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर वृत्त रीवा
जिला–रीवा (म.प्र.)

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

30/-

दुर्गा प्रसाद तनय ईश्वरदीन यादव उम्र 85 वर्ष, पेशा खेती निवासी ग्राम पैपखरा, तह0 हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) III/निग./रीवा/भू.रा./2017/2115

.........आवेदक/

बनाम

01– रामावतार उर्फ ददवा तनय स्व. रामनिहोर उम्र 60 वर्ष, पेशा खेती,

02– शिवनारायण उर्फ पण्डित तनय रामनिहोर उम्र 55 वर्ष पेशा खेती,

03– सुदर्शन उर्फ लल्ली तनय रामनिहोर उम्र 50 वर्ष पेशा खेती,

04– हीरालाल तनय रामनिहोर उम्र 45 वर्ष, पेशा खेती

सभी निवासी ग्राम बरा, पैपखरा तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

..................अनावेदकगण/गैरनिगरा

माननीय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के द्वारा प्र.क्र. 65/अ–6/16–17 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन पत्र।

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू. रा.संहिता 1959

मान्यवर,

उपरिनामित वादिया निम्न रूपेण कथन करता है :–

01– यह कि अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आ.ख.नं. 542/2 रकवा 0.13ए. स्थित मौजा बरा पैपखार, तहसील हुजूर जिला–रीवा म.प्र. के संबंध में शिविल कोर्ट की डिक्री एवं निर्णय दिनांक 06.11.2015 न्यायालय श्रीमान् पंचम व्यवहार न्यायालय वर्ग–2 के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था।

02– यह कि उक्त डिक्री के संबंध में निगराकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है, जो अभी लंबित है जिसकी सत्यापित

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प रीवा

(227)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 2115 / -III / 17 / निगरानी .... जिला रीवा

दुर्गा प्रसाद यादव ...... विरूद्ध ...... रामावतार उर्फ ददवा

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री एस.एन. द्विवेदी ...... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~तहसीलदार/ नायब~~ तहसीलदार तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 65 / अ-6 / 16-17 .... में पारित आदेश दिनांक 30-5-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा .... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-19 .... को कलेक्टर रीवा .... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	